जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 17वीं बैठक जो दिनांक 04.02.2016 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1– श्री संजय अग्रवाल, — अध्यक्ष
2– श्री ए0पी0 मिश्रा, — प्रबन्ध निदेशक
3– श्री मुरलीधर भागचन्दानी — निदेशक
4– श्री ए0 के0 अग्रवाल — निदेशक
5– श्री बी0एस0 तिवारी — निदेशक
6– श्री राकेश त्रिवेदी — निदेशक

सहायतार्थ

श्री एच0 के0 अग्रवाल, कम्पनी सचिव

कम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 16वीं बैठक जो दिनाँक 31.08. 2015 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 16वीं बैठक जो दिनांक 31.08.2015 को सम्पन्न हुयी, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"
2	निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में।	निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक मनोनीत किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया गया :– "निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल में श्री आर0वी0 पाण्डेय के स्थान पर श्री बिद्या सागर तिवारी (07324713) जो वर्तमान में उत्पादन निगम में निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) का कार्य देख रहे हैं, को निदेशक मनोनीत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।"
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में गठित निदेशक निविदा समिति के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में गठित निदेशक निविदा समिति के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 2504 दिनांक 04.01.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
4	निगम में कार्यालय ज्ञाप सं0 2503 दिनांक 04.01.2016 द्वारा गठित कारपोरेट	निदेशक मण्डल ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में गठित कारपोरेट निविदा समिति द्वारा

CHAIRMAN'S INITIAL

	निविदा समिति के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रकरणों में निर्णय लेने हेतु जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 2503 दिनांक 04.01.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
5	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्य कलापों हेतु पूँजीगत एवं कार्यशील पूँजी के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीय वित्तीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की अधिकतम सीमा रू0 10,000.00 करोड़ करने हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्य कलापों हेतु पूँजीगत एवं कार्यशील पूँजी के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीय वित्तीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की अधिकतम सीमा रू0 10,000.00 करोड़ करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसका औपचारिक अनुमोदन कम्पनी अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत अंशधारियों से अनुमोदित कराने हेतु सहमति प्रदान करते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किया :- **Borrowing Power of the Company** "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of section 180 (1) (c) of the Companies Act, 2013, and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Company hereby accords its consent to the Board of Directors for borrowing any sum or sums of money from time to time from any one or more of the Company's bankers and or from any one or more other persons, firms, bodies corporate, or financial institutions whether by way of cash credit advance or deposits, loans or bill discounting or otherwise and whether unsecured or secured by mortgage, charge, hypothecate or lien or pledge of the Company's assets and properties whether movable or stock-in-trade (including raw materials, store, spare parts and components in stock or in transit) and work-in-progress and all or any of the undertakings of the Company notwithstanding that the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by company's bankers in the ordinary course of business will or may exceed the aggregate of paid-up capital of the company and its free reserve that is to say, reserves not set apart for any specific purpose but, so however,

CHAIRMAN'S INITIAL

		outstanding at any time shall not exceed the sum of Rs. 10,000.00 Crores (Rupees Ten Thousand Crores) only exclusive of interest and the Directors are hereby further authorized to execute such deed of debenture / bonds, trust deed or mortgage, charge, hypothecation, lien, promissory note, deposit receipts and other deeds and instruments or writing as they may think fit and containing such conditions and covenants as the Directors may think fit." **"FURTHER RESOLVED THAT** the Company do hereby accords its consent under Section 180 (1) (a) of the Companies Act, 2013 to the Board of Directors to mortgaging and/or charging of the Company all or any of the movable properties both present and future or the whole of substantially the whole of the undertaking or the undertakings of the Company for securing any loan obtained or as may be obtained from financial institution or person or persons together with interests, costs, charges, expenses and any other money payable by the Company." **"FURTHER RESOLVED THAT** the Board of Directors of the Company be and are hereby authorized to finalize and execute documents for creating the aforesaid mortgage and /or charge and to do all such act and things as may required for implementing this resolution."
6	जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 तापीय परियोजना के कार्यों को सम्पादित कराने हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल ने यह देखते हुए कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सहायक कम्पनी है जिसके द्वारा जवाहरपुर 2X660 मे0वा0 तापीय परियोजना स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है परन्तु जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अभी कोई अधिकारी/कर्मचारी तैनात नहीं किये गये हैं और वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा एवं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह के द्वारा जवाहरपुर तापीय परियोजना के भुगतान सम्बन्धी कार्य देखे जा

CHAIRMAN'S INITIAL

		रहे हैं के परिप्रेक्ष्य में निम्न प्रस्ताव पारित किया :– " 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों के प्रस्तावों पर अनुमोदन हेतु उनिलि के हरदुआगंज तांप विद्युत गृह की परियोजना निविदा समिति एवं मुख्यालय स्तर की सम्बन्धित इकाई जिसके अधीनस्थ कार्य सम्पादित कराया जाना है, जो इकाई वर्तमान में उनिलि के अधीनस्थ है को उनिलि में प्रचलित नियमानुसार निर्णय लेने हेतु एवं उनिलि/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह को 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के भुगतान सम्बन्धी कार्य जवाहरपुर विद्युत उतपादन निगम लि0 की तरफ से सम्पादित कराने हेतु अधिकृत किया गया।"
7	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	

लिया गया निर्णय

निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा फीस के सम्बन्ध में निम्न संकल्प पारित किये :–

1. संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 के वार्षिक लेखों की वैधानिक सम्प्रेक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्रांक CA.V/COY/UTTAR PRADESH JAWVID(1)/1480 दिनांक 08.09.2015 के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति उनके सम्मुख अंकित सम्प्रेक्षा शुल्क पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया :–

संवैधानिक सम्प्रेक्षक	परियोजना/इकाई जिसके लिए सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।	सम्प्रेक्षा शुल्क (सेवा शुल्क अतिरिक्त देय है) (रू0 में)
राजीव नंदन एण्ड कम्पनी (CR0713) 301-A, द्वितीय तल, गोविन्द अर्पाटमेन्ट 1-A, शाहनजफ रोड, लखनऊ	मुख्यालय, लखनऊ	रू0 15000.00 प्रति वित्तीय वर्ष

2. पुनः संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी फीस का औपचारिक अनुमोदन अंशधारियों से भी प्राप्त कर लिया जाये।

8	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12,	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13,

CHAIRMAN'S INITIAL

	2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	2013–14 एवं 2014–15 के लेखों के वार्षिक लेखे (लेखा नीति तथा लेखो पर टिप्पणियों सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), श्री ए0के0 अग्रवाल, निदेशक तथा श्री ए0पी0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
9	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के अधिग्रहित भूखण्ड की बाउन्ड्रीवाल/सिक्योरिटी वॉल एवं 2 कक्षों के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के अधिग्रहित भूखण्ड की बाउन्ड्रीवाल/सिक्योरिटी वॉल एवं 2 कक्षों के निर्माण कार्य हेतु कारपोरेट निविदा समिति प्रथम की बैठक दिनांक 06.01.2016 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में जवाहरपुर तापीय परियोजना के अधिग्रहित भूखण्ड की बाउन्ड्रीवाल/सिक्योरिटी वॉल एवं 2 कक्षों के निर्माण कार्य जिसका कुल मूल्य रू0 13,44,99,817.00 (रू0 तेरह करोड़ चौवालीस लाख निन्नानबे हजार आठ सौ सतरह मात्र) सेवाकर अतिरिक्त के प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया कि इस प्रकरण का अनुमोदन पर शासन स्तर पर गठित सक्षम समिति से प्राप्त किया जाये।
10	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Socio-Economic Study का कार्य IIT Kanpur से एकल प्रस्ताव के अन्तर्गत कराने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Socio-Economic Study का कार्य IIT Kanpur से एकल प्रस्ताव के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया :– "2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Socio-Economic Study का कार्य IIT Kanpur से प्राप्त एकल ऑफर के विरूद्ध परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्र की सोशल इकोनामिक स्टडी (Socio-Economic Study) का कार्य रू0 09.00 लाख (रू0 नौ लाख मात्र) सेवाकर अतिरिक्त की लागत से कराने का अनुमोदन प्रदान किया।"
11	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के अन्तर्गत कोयला, तेल इत्यादि के परिवहन हेतु रेल नेटवर्क कार्य की परामर्शी सेवाओं हेतु मेसर्स राइट्स के एकल प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना के अन्तर्गत कोयला, तेल इत्यादि के परिवहन हेतु रेल नेटवर्क कार्य की परामर्शी सेवाओं हेतु मेसर्स राइट्स, लखनऊ (भारत सरकार का उपक्रम) के द्वारा प्रस्तुत एकल निविदा प्रस्ताव के आधार पर कारपोरेट निविदा समिति–प्रथम की बैठक

CHAIRMAN'S INITIAL

		दिनांक 01.10.2015 सपठित बैठक दिनांक 06.11.2015 में लिये गये निर्णयों के क्रम में निम्न अनुमोदन प्रदान किया :– 1- फेज–1 में Feasibility Study –का कार्य रू0 3.00 करोड (Estimated Project Cost Rs.300 Crs. का 1 प्रतिशत) (कर अतिरिक्त)। 2. फेज–2 में Detailed Project Report (DPR) and Detailed Engineering का रू0 6.00 करोड़ (Estimated Project Cost Rs.300 Crs 2%) (कर अतिरिक्त)। 3- फेज – 3 – Project Management Consultancy का कार्य (कार्य की वास्तविक Built-up Cost के आधार पर) Built-up Cost का 8.5 प्रतिशत (कर अतिरिक्त) पर कराने का अनुमोदन इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया जाता है कि इस भाग के कार्य का आवंटन Detailed Project Report तैयार हो जाने एवं रेल नेटवर्क कार्यों की अनुमानित लागत ज्ञात होने के पश्चात किया जायेगा। निदेशक मण्डल ने उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की कारपारेरेट निविदा समिति–प्रथम द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रकरण में लिये गये निर्णयों दिनांक 01.10.2015 एवं 06.11.2015 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
12	2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Hydro geological study का कार्य National Institute of Hydrology, Roorkee से एकल प्रस्ताव के अन्तर्गत कराने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Hydro geological study का कार्य National Institute of Hydrology, Roorkee से एकल प्रस्ताव के अन्तर्गत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया :– "निदेशक मण्डल ने 2X660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित Hydro geological study का कार्य National Institute of Hydrology, Roorkee से(भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तुत एकल प्रस्ताव के

CHAIRMAN'S INITIAL

		आधार पर रू0 24.00 लाख (रू0 चौबीस लाख) सेवाकर अतिरिक्त की लागत से कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।"

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुयी।

बैठक सांय 6:15 बजे प्रारम्भ होकर सांय 6:45 बजे समाप्त हुई।

दिनांक :

(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S INITIAL